उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग–1
संख्या–743 / 49–1–10–9(20) / 10
लखनऊः दिनॉक 23 नवम्बर,10

कार्यालय ज्ञाप

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 30–9–2008 को वर्षवेश्वर नगर कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाम ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी के मामले में संदर्भ देते हुये कहा गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटी आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा 2(एच) के तहत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आती है।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम0ए 0खान एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री राम हरि विजय त्रिपाठी द्वारा उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को गैर सरकारी संस्था मानते हुये आर0टी0आई0 एक्ट–2005 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं माना गया है।

श्री बृजेश कुमार मिश्र, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड) संस्था को आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के अर्न्तगत आच्छादित नहीं माना गया है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता विभाग की संस्थायें – उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), उ0प्र0सहकारी ग्रम विकास बैंक लि0 एवं उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (एच) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी की श्रेणी से आच्छादित न होने के कारण उक्त संस्थाओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होता।

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनॉक–उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग,उ0प्र0शासन।
2–मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
3–निबन्धक, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ।
4– संबंधित संस्थाओं को अनुपालनार्थ।
5– उक्त संस्थाओं के अतिरिक्त सहकारिता विभाग की समस्त शीर्ष संस्थायें।
6– सहकारिता अनुभाग–2 / 3
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार)
उप सचिव / जन सूचना अधिकारी।

2171